(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए प्रयासों के परिणाम क्या-क्या रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) (क) से (ग) दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 में मशीनरी की गुणवत्ता, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला एवं डेयरी संयंत्रों में स्वच्छता व स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थितियों में न्यूनतम मानकों के पालन पर विशेष बल दिया गया है।

देश में तरल दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयास भी किए गए हैं। डेयरी संयंत्र सुधार कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जा रहा है, जोकि किसी डेयरी के कार्यों में समग्र सुधार हेतु आदानों का पूर्ण पैकेज है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा की अधिकांश डेरियों में डेयरी संयंत्र सुधार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शुरू किए गए संयंत्र निरीक्षण, गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम कार्यरत प्रशिक्षण और संयंत्र लागत निर्धारण डेरियों की क्षमता एवं दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में प्रत्यक्ष सुधार हुआ है।

इसके अतिरिक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण, खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम 1954 के प्रावधान के तहत दुग्ध और दुग्ध उत्पादों सहित सभी खाद्य वस्तुओं पर गुणवत्ता नियंत्रण करते हैं।

राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना (नेशनल वाटरशैड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट)

495. श्री ईश दत्त यादव :
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय जलविभाजक विकास परियोजना को प्राथमिकता देने के बावजूद इस पर उत्तरोत्तर वर्षों में कम धन राशि खर्च की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इस पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है और गत वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में किए गए कार्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) राज्य संघ शासित प्रदेश की सरकारों को धनराशि की निर्मुक्ति उनके द्वारा पिछले वर्ष किये गये कार्य निष्पादन के आधार पर की जाती है, जिसका ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 1993-94 तक प्रारम्भ की गई परियोजनाओं तथा इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है (**नीचे देखिए**) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत शुरू किये गए कार्यकलापों में कृषि योग्य तथा गैर-कृषि योग्य भूमि का उपचार और मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कम लागत के वर्धी उपायों के उपयोग द्वारा तथा उत्पादन पद्धतियों को उन्नत बनाना शामिल है जिसमें सहायक पारिवारिक आय अर्जन कार्यकलाप शामिल है।

विवरण–I

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991–92 से 1993–94 के दौरान किये गये व्यय का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1991–92		1992–93		1993–94	
		आबंटन	निर्मुत की गई राशि	आबंटन	निर्मुक्त की गई राशि	आबंटन	निर्मुक्त की गई राशि
1	2		3		4		5
1	आंध्र प्रदेश		1120.000		1238.000		1462.000
2	अरूणाचल प्रदेश		18.000		18.000		—
3	असम		350.000		350.000		460.000
4	बिहार		780.000		130.858		--
5	गोवा		17.000		2.733		--
6	गुजरात		1180.000		1180.000		1370.000
7	हरियाणा		240.000		38.552		—
8	हिमाचल प्रदेश		80.000		80.000		—
9	जम्मू एवं कश्मीर		60.000		60.000		192.000
10	कर्नाटक		1420.000		1380.000		3140.000
11	केरल		300.000		300.000		1360.000

1	2	3	4	5
		2600.000	980.055	1000.000
13	महाराष्ट्र	2500.000	732.673	2000.000
14	मणिपुर	15.000	73.000	—
15	मेघालय	25.000	38.000	100.000
16	मिजोरम	10.000	66.000	398.000
17	नागालैंड	25.000	28.000	306.000
18	उड़ीसा	775.000	772.101	1750.000
19	पंजाब	15.000	120.000	120.000
20	राजस्थान	1940.000	2350.000	1900.000
21	सिक्किम	25.060	70.000	108.000
22	तमिलनाडु	508.110	84.887	1664.000
23	त्रिपुरा	35.000	35.000	60.000
24	उत्तर प्रदेश	1150.000	1300.000	1450.000
25	पश्चिम बंगाल	540.000	91.244	—
26	दादर एवं नागर हवेली	0.465	0.500	10.00
27	दमन एवं दीव	0.465	0.500	—
28	अंडमान एवं निकोबार	—		25.000
	कुल	17000.00 15900.000	11650.00 11520.187	20800.00 19784.00

विवरण–II

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	विकास के लिये चुने गये सुक्ष्म जल विभाजकों की कुल संख्या	राज्य स्तर की मंजूरी दाता समिति द्वारा स्वीकृत सुक्ष्म जल विभाजक परियोजनाओं की संख्या	कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	अनुमानित लागत (लाख रुपये)
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	94	94	191949	5218.550
2	अरूणाचल प्रदेश	3	3	1970	96.540
3	असम	110	110	104973	2494.260
4	बिहार	209	178	77421	2162.260
5	गोवा	4	—	—	—
6	गुजरात	168	168	334261	9776.180
7	हरियाणा	5	5	18725	644.058
8	हिमाचल प्रदेश	58	38	21845	977.090
9	जम्मू एवं कश्मीर	31	31	15436	576.790
10	कर्नाटक	85	85	357607	13710.870
11	केरल	114	114	88276	3583.576
	मध्य प्रदेश	385	385	749641	14127.430

1	2	3	4	5	6
13	महाराष्ट्र	266	266	443827	12787.490
14	मणिपुर	5	5	6821	252.720
15	मेघालय	8	8	4110	225.390
16	मिजोरम	20	20	17666	798.670
17	नागालैंड	28	28	14125	637.000
18	उड़ीसा	258	258	283585	8301.170
19	पंजाब	13	13	19270	539.470
20	राजस्थान	204	204	533939	17445.630
21	सिक्किम	12	12	7031	347.970
22	तमिलनाडु	84	84	118600	4151.000
23	त्रिपुरा	17	17	7634	247.000
24	उत्तर प्रदेश	188	188	233295	7249.660
25	पश्चिम बंगाल	170	119	06953	2771.794
26	दादर एवं नागर हवेली	3	3	692	18.735
27	दमन एवं दीव	—	—	—	—
28	अंडमान एवं निकोबार	4	4	2669	125.308
	कुल :	2540	2440	3750321	109267.160